संo– 1152 /उत्तीरा(2)/05–2(70पे0)/2005

प्रेषक,

बुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून ।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 15 नवम्बर, 2005

विषयः–नगरीय जलोत्सारण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 में बद्रीनाथ जलोत्सारण योजना भाग–1 कीवित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 1092/प्राक्कलन विवरण/दिनांक 26.10.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में नगरीय जलोत्सारण कार्यक्रम के अन्तर्गत बद्रीनाथ जलोत्सारण योजना भाग–1 (साकेत से एस0टी0पी0 तक) के लिए रू0 53.90 लाख के प्राक्कलन पर टी0एस0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि अनु0 लागत रू0 49.80 लाख में से अनुदान के रूप में रू 24.90 (रू0 चौबीस लाख नब्बे हजार मात्र) तथा ऋण के रूप में रू 24.90 (रू0 चौबीस लाख नब्बे हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 49.80 लाख (रू0 उन्चास लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के साथ ही निम्न0 शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निर्णय पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) ऋण अंश के रूप में स्वीकृत धनराशि की चाफरी एवं ब्याज अदायगी शासनादेश संख्या 924/उत्तीरा/04–2(46पे0)/2004 दिनांक 28 अप्रैल, 2004 में वर्णित शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो पर उत्तर प्रदेश शासन वित्त लेखा अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–ए–2–87(1)/दस–97– 17 (4)/75 दिनांक 27.02.1997 के अनुसार सेन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यो की कुल लागत के सापेक्ष कुल सेन्टेज चार्जेज 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यदि योजना में इससे अधिक सेन्टेज व्यय होना पाया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध निदेशक का होगा ।

(3) अनुदान की धनराशि का व्यय ऋण राशि के साथ ही किया जायेगा।

(4) प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष

क्रमशः2

में धनराशि केवल आवश्यकतानुसार ही किश्तों में आहरित की जायेगी।

(5) व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, डी0जी0.एस0 एण्ड डी0, टैंडर और अन्य समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा ।

(6) व्यय उन्ही मदो/योजनाओं पर किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है ।

(7) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें ।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पूर्व तक पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी का स्पष्टीकरण लिया जायेगा और उपयोग के उपरान्त अविलम्ब इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा तथा शेष कार्यो हेतु धन प्राप्त कर इस प्रकार पूरा किया जायेगा ।

(9) यदि यह धनराशि आहरित करके अपने बैंक खाते मे रखी जायेगी तो इस धनराशि पर समय समय पर अर्जित ब्याज को वित्त विभाग के दिशा निर्देशानुसार राजकोष मे जमा कर दिया जायेगा।

(10)आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है, की स्वीकृति में नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(11) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(12) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(13) एक मुश्त प्राविधान में कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(14) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मद्देनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(15) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों/भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें एवं निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप ही कार्य किया जाय।

(16) आगणन मे जिन मदो हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद में व्यय किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरी मद में कदापि व्यय न किया जाय।

(17)– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.05 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। यदि उक्त धनराशि का दिनांक 31.03.06 तक पूर्ण उपयोग नहीं होता है तो समस्त अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(18)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में आय-व्ययक के अनुदान सं0–13 के अन्तर्गत अनुदान की धनराशि लेखाशीर्षक" 2215–जलपूर्ति तथसफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–101–शहरीजलापूर्ति कार्यक्रम–05 – नगरीय पेयजल–01–नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता"के नामे तथा ऋण की धनराशि लेखाशीर्षक– "6215 –जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज–02 मल–जल तथा सफाई–आयोजनागत–800 अन्य कर्ज–04– पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए ऋण–00–30 निवेश /ऋण" के नामे डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0–99/वि0अनु0–2/2005 दिनांक 10 नवम्बर 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

सं0– 1184 (1)/उन्नीस(2)/05–2(70पे0)/2005,तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2–आयुक्त गढ़वाल,मण्डल ।
3–जिलाधिकारी, देहरादून/चमोली, उत्तरांचल।
4–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
5–मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान देहरादून।
6–वित्त अनुभाग–2/वित्त(बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल।
7–निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
8–श्री एल0 एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग ।
9–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून ।
10–निदेशक, एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर,देहरादून।
11–स्टाफ ऑफिसर –मुख्य सचिव, मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

आज्ञा से

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव